

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश, गॉर्टन कैसल
शिमला - 171 003



Office of the Principal Accountant General (Audit)
Himachal Pradesh,
Gorton Castle, Shimla-171 003

परिपत्र (ए.एम.जी.II)

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 22 के अंतर्गत दिनांक 17.02.2005 को हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया है तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 34 और 35 के अनुसार बोर्ड के वार्षिक लेखे राज्य के महालेखाकार के परामर्श से निर्धारित तरीके से बनाए जाने जाना चाहिए तथा उनका लेखा परीक्षण महालेखाकार द्वारा किया जाना चाहिए। राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद् हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2020-22 की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि बोर्ड के वार्षिक लेखे को राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद् हिमाचल प्रदेश के साथ ही बनाया जा रहा है। जब यह मामला प्रधान महालेखाकार महोदय के संज्ञान में लाया गया तो इसे प्रधान महालेखाकार महोदय ने गंभीरता से लिया और इस पर तत्त्व टिप्पणी की है। अतः सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि भविष्य में यदि इस तरह का मामला/कमी लेखापरीक्षा के दौरान यदि संज्ञान में आता है तो उसे समय पर सक्षम प्राधिकारी के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।

यदि इस तरह का मामला भविष्य में संज्ञान में आता है तो उस नई इकाई के शासकीय अधिनियम में लेखापरीक्षा से सम्बंधित अनुच्छेद/section की समीक्षा की जाए व अधिनियम में दिए गए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अधिदेश के सम्बन्ध में कार्यालय को सूचित किया जाए जिससे इकाई को ऑडिट यूनिवर्स में शामिल किया जा सके

यह परिपत्र उप-महालेखाकार महोदय (AMG-II) के अनुमोदनोपरांत जारी किया जा रहा है।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए. एम. जी.-II, मु.-II

Phone: +91-177-2652607

E-mail: agauhimachalpradesh@cag.gov.in